



मुंबई पोर्ट ट्रस्ट MUMBAI PORT TRUST

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और पुनरावेदन) विनियम, 1976

MUMBAI PORT TRUST EMPLOYEES (CLASSIFICATION, CONTROL AND APPEAL) REGULATIONS, 1976.

(30 सितंबर 1980 तक यथासंशोधित) (AS MODIFIED UPTO THE 30TH SEPTEMBER 1980). सुंबई पोर्ट द्रस्ट कर्मचारी (बर्गिकरण, नियंजण और पुनरावेदन) विनियम, 1976.

(30 सितंबर 1980 तक यथासंशोधित)

मुंबई पोर्ट दुस्ट कर्अंचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और पुनराबेदन (अपील))

विषयसस्तु

विनिधम

400

I lette

सामान्य

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंम
- 2 परिभाषाएं
- 8. प्रयुक्ति

भाग 🎚

वर्गीकरण

4. पदों का वर्गीकरण

भाग 🎹

नियुरितकर्ता प्राधिकारी

नियुश्तिकर्ता प्राधिकारी

6. किसी प्राधिकारी को अपने अधीनस्य अन्य प्राधिकारी के अधिकार इस्तेमाल करने के अधिकार

PITAL IV

निलंबन

7. निलंबन

With A

वंड एवं अनुसासनिक प्राधिकारी

- 8 43
- 9. भर्ती से पहले किये गये दुराचरण के लिये दंड
- 10. अनुशासनिक प्राधिकारी 11. कार्यवाही आक्रंम करने के अधिकार

PATH VI

वंड लगाने संबंधी प्रक्रिया

- 12 भारी दंड लगाने संबंधी प्रक्रिया
- 18. जाँच रिपोर्ट पर कार्यवाही
- 14. साधारण वंड लगाने संबंधी प्रक्रिया
- 16. अदेशों की स्थना
- 16. सामान्य कार्यवाही
- 17. विशिष्ट मामलों में विशेष प्रक्रिया
- 18. केंद्र सरकारी आदि को दिये गये कर्मचारियों के बारे में प्रावधान
- . 19. केंद्र सरकारी आदि से लिये गये कर्मचारियों के बारे में प्रावधान

आजा VII

पुनरामेवन (अयील)

- 20. ऐसे आदेश, जिनपर कोई पुनरावेदन नहीं हो पायेगा
- 21. ऐसे अदेश, जिनपर पुनरावेदन किया जा सकता है
- 22 जिनसे पुनरावेदन करना है, वह प्राधिकारी
- 23. विशेष सिंधतियों में जिनसे पुनरावेदन करना है, वे प्राधिकारी
- 24. पुनरावेदन के लिए समय सीमा
- 26. पुनरावेदन का स्वरुप और निहित सामग्री
- 26. पुनरावेदन पर विधार
- 27. पुनरावेदन पर दिये अदेशों का कार्यान्वयन

भाग VIII

पुनरीक्षण

28. पुनरीक्षण

भाग IX

विविध '

- 29. आदेश और नोटीस जारी किया जाना
- 30. समयसीमा शिथिल करने एवं विलंब माण करने के अधिकार
- 81. पुनरावेदन
- 82 सेंदेहों का निराकरण

अनुस्थी

भारत का राजपत्र वि. 8 सई 1978 भाग ॥ धारा ३ - उपधारा ॥

सुंबर्ड पोर्ट ट्रस्ट कर्मबारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और पुनरावेदन (अपील)) विनियम 1978

जी. एस. अर. 648 महापत्सन न्यास अधिनियम, 1968 (1963 का 38) की धारा 24 की उपधारा (1) के लण्ड (बी), धारा 25 की उपधारा (1) के लण्ड (बी), धारा 26 की उपधारा (2) के लण्ड (बी) और धारा 28 के लण्ड (ए) और (बी) के साथ पढ़ी जानेवाली धारा 126 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्र शरकार एतद्द्वारा निम्न आरंभिक विनियम बनाती है जिनके नाम हैं :--

भाग I

सामान्य

- संबिप्त नाम और प्रारम्भ (1) ये विनियम मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मधारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और पुनरावेदन) विनियम 1976 कहे जा सकते हैं.
 - (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लाग् होंगे.
- 2 परिभाषायें इन विनिधमों में जबतक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,
 - (क) 'अधिनियम' से ताल्पर्य है महापल्तन न्यास अधिनियम 1963 (1968 का 38)
 - (ल) किसी कर्मचारी के संबंध में 'नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी' से तात्पर्य है इन विनियमोंद्वारा उस नाते निर्धारित प्राधिकारी
 - (ग) 'मंडल', 'अध्यक्ष', 'उपाध्यक्ष' और विभाग प्रमुख के अर्थ वहीं है जो उन्हें अधिनियम में क्रमशः व्हिये गये हैं.
 - (प) 'अनुशासनिक प्राधिकारी' से तात्पर्य है वह प्राधिकारी जो कर्मेषारी पर नियम 8 में उल्लिखित किसी भी प्रकार का वण्ड लगाने के लिये इन विनियमों के अंतर्गत सक्षम हो
 - (ड) 'कर्मचारी' से तात्पर्य है मंडल का कोई भी कर्मचारी, इनमें ऐसे ठयदित भी क्षामिल हैं जो विदेश में सेवारत है, अथवा जो अस्थायी रूप में मंडल की सेवा में हैं. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकरण की सेवा में नियुक्त ऐसे ठयहितयों का भी इनमें समावेश है, जिनकी सेवायें आधार अधार पर मंडल के अथीन हैं.
 - (घ) "अनुस्धी" से तात्पर्ध इन नियमों से संलग्न अनुस्थी से हैं.
- प्रयुक्ति (1) ये नियम अंडल के प्रत्येक कर्मधारीपर लाग् होंगे, लेकिन उन कर्मधारियोंपर लाग् नहीं होंगे —
 - (क) जो नैमित्तिक कार्यपर हो,

(स) जिन्हें एक महीने से कम अवधि की स्थना देकर सेवा से हटाया जा सकता है,

- (म) जिनके लिये इन विनियमों के अंतर्गत आनेवाले मामलों के संबंध में किलहाल लागू किसी नियम द्वाराः या उसके तहत कोई विशेष प्रावधान बनाया गया हो, अथवा उपनियम कुछ समय के लिए लागू किया गया हो.
- (2) जहाँ तक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के खण्ड (ए) में उम्लिखित कर्मधारी का संबंध है, उपनियम (1) में उम्लिखित किसी बात के होते हुए भी केंद्र सरकार की पूर्वानुमित से अध्यक्षजी एक अदेशद्वारा किसी कर्मधारी या कर्मधारी समूह को सारे या कुछ विनियमों से मुन्त कर सकते हैं.
- (8) ये चिचियम अथना हमलें से कोई एक चिचियम किसी व्यक्ति पर पर लागू होते हैं/होता है अथवा नहीं यह संभ्रम उत्पन्न हो, तो उस समय मामला केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा और उसका निर्णय केंद्र सरकार केंग्री.

भाग 🎚

वर्गीकरण

- 4. पदों का वर्गीकरण इन नियमों के प्रयोजन के लिए मंडल के अधीन सभी पदों का निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया जाए !--
 - (क) ग्रेणी ं के पदों से तात्पर्ध- (1.1.1987 से लागू चेतन द्वाँचे में) • (रू. 4280) अथषा इससे अधिक वेतन अथवा वेतन ग्रेणीवाले पद
 - (स) ग्रेणी II पद से तात्पर्ध * (इ. 2800) से अधिक लेकिन (4280 इ.) से कम वेतन अथवा वेतनग्रेणी वाले पद,
 - (ग) ग्रेणी III पद से तात्पर्य * (1580 रू.) से अधिक लेकिन (2800 रू.) से कम वेतन अथवा वेतन ग्रेणी वाले पद,
 - (घ) श्रेणी iV पद से तात्पर्ध अधिकतम (1580 क्र) अथवा इससे कम वेतन अथवा वेतन श्रेणी वाले पद.

बशर्ते कि उप विनिधम (1) में उल्लिखित वेतन-ढ़ाँबे के साधारण संशोधन के बाद उपविनिधम (1) में उल्लिखित वेतन सीमाओं की अनुरूप वेतन सीमाएँ - विनिधम के संशोधन द्वारा औपधारिक सुधार होनेतक वे ही रहेगी, जेसी कि केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हैं. -

न्यासियों के विनांक 14.9.1993 की सं. सं. 528 द्वारा प्रतिस्थापित (27.1.1994 से लागू)

² न्यासियों की दिनांक 12.9.89 की सं. सं. 283 द्वारा प्रतिस्थापित (19-2-1990 से लाग्)

FRANKS TOTAL

भाग ॥

नियुन्तिकर्ता प्राधिकारी

- 5. नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी (1) अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के सण्ड (ए) में समाविष्ट पद छोड़कर प्रथम श्रेणी पदों की सभी नियुक्तियाँ (जिनका चेतन अथवा चेतन श्रेणी) 5150 रू से अधिक हो,) अध्यक्ष महोदय काँगे.
 - (2) * (क) अधिकतम 5150 रू वेतन अथवा वेतनश्रेणी वाले सभी प्रथम श्रेणी पद्धों और

(स) सभी श्रेणी II के पदों

की नियुक्तियाँ उपाध्यक्ष महोदय करेंगे

- (8) विभाग में तृतीयश्रेणी के सभी पदों * (जिनका वेतन अथवा वेतनश्रेणी 2220 रू से अधिक हो) की नियुक्तियाँ विभागप्रमुख दूररा की जाएगी.
- (4) * (उपनियम (8) में समावेश न किये गये सभी तृतीय पदों की नियुक्तियाँ) और श्रेणी IV के सभी पदों की नियुक्तियाँ विभाग प्रमुख द्वारा की जाएगी. (अथवा ये नियुक्तियाँ ऐसे अधिकारियाँ द्वारा की जाएगी जो उस विभाग के उप विभाग प्रमुख की श्रेणी से नीये न हाँ अथवा जिन्हें विभाग प्रमुख समय-समय पर नामित करें)
- 6. अपने अधीनस्य प्राधिकारी के अधिकारों का इस्तेमाल-

विनियम 5 के अंतर्गत निर्धारित प्राधिकारी के किन्हीं पदांपर नियुक्ति करने के अधिकार उससे उच्च अधिकारी भी हस्तेमाल कर पार्येगा,

न्यासियों के दिनांक 14.9.1993 की सं. गं. 528 द्वारा प्रतिस्थायित (27.1.1994 से लागू)

न्यासियों की दिनांक 12.9.89 की सं. सं. 283 द्वारा प्रतिस्थापित (19-2-1990 से लागू)

Mail IA

जिल्हा सन

- 7. निलम्बन (1) किसी कर्मधारी को उस स्थिति में निलम्बत किया जा सकता है—
 - (क) जब अध्यक्ष महोदय की राय में वह राज्य की मुख्या के लिये बाधक काम में लगा हुआ हो, अथवा
 - (स) जब उसके विरुध्द अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित अथवा लंबित हो, अथवा
 - (ग) जब उसके विरुध्द किसी अपराध के संदर्भ में मामले की जांच चल रही हो.
 - (2) निलम्बन का आदेश —
 - (क) अधिनियम की धारा (24) की उपधारा (1) के संड (17) में उल्लिखित किसी कर्मधारी के मामले में, अध्यक्ष महोदय देंगे.
 - (स) अन्य कर्मवारियों के मामले में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी देंगे.

बहातें की धारा (24) की उपधारा (1) के खंड (ए) में उन्निसित कर्मधारी के संबंध में ऐसे कोई भी अब्देश केंद्र सरकार का अनुमोदन मिलने तक लागू (प्रभावी) नहीं होंगे.

- (8) किसी कर्मधारी को केंद्र सरकार के अनुमोदन से अध्यक्ष महोदय के अदेशद्वारा अथवा नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के अदेश के द्वारा जैसी भी स्थिति हो - कर्मधारी को निम्न तिथियों से निलम्बित माना जायेगा ---
- (क) अगर उसे अपराध के अथवा अन्य आरोप के कारण 48 घण्टों से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया हो, तो उसे हिरासत में रखे जाने की तिथि से
- (स) किसी अपराध के लिये दोषी पाये जानेपर उस 48 घंटों से अधिक अवधि के लिये उसे हवालात में रसने की सजा सुनाई गयी हो, और इसे दोषी पाये जाने के परिणाम स्वरुप उसे पदच्युत, बरसास्त या अनिवार्यतः सेवामुक्त न किया गया हो, तो उसे दोषी ठहराये जाने की तिथि से -

स्पष्टीकरण — संड (बी) में उन्निलित 48 घंटे की अवधि दोषसिध्दि उपरांत कारावास की शरुआत से परिकलित की जायेगी. इस प्रयोजन के लिए कारावास की अंतरायिक अवधि की भी -यदि हो तो- गणना की जायेगी.

(4) जहाँ निलंबित कर्मचारीयर लगाया गथा पदच्युति, बरसास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड इन विनियमों के अंतंगत पुनरावेदन या पुनरीक्षण में अपास्त किया है और मामला अगली जाँच पड़ताल कार्यवाही अथवा अन्य निदेशों के लिये भेजा जाता है, उस मामले में उसके निलंबन का आदेश उसकी पदच्युति बरसास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि (उस दिन सहित) से लागू माना जायेगा, और अगले आदेश प्राप्त होनेतक लागू रहेगा.

- (5) यदि कर्मचारीपर लगाया गया पद्च्युति, बरसास्तर्गी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड न्यायालय के अदेशद्वारा या न्यायालय के अदेश के फलस्वरूप अपास्तरद्द किया जाता है, और मामले की स्थितियों को देखते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी जिन आरोपोंपर कर्मचारी को मूलतः पद्च्युत , बरसास्त या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त किया गया था, उन आरोपों की अधिक छानबीन करने का निर्णय लेता है, तो कर्मचारी पद्च्युति, बरसास्तर्गी अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल/प्रथम अदेश की तिथि से निलंबित माना जायेगा, और अगले अदेश मिलने तक निलंबित रहेगा. बश्तें कि (संशोधन पर्यो 1 देखें)
- (६)(क) इस विनियम के जंतर्गत दिया गया अथवा दिया है, ऐसा माना गया निलंबन जदेश तबतक लागू रहेगा, जबतक सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसमें संशोधन नहीं किया जाता अथवा उसें रद्द नहीं किया जाता.
 - (स) किसी अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अन्य किसी संबंध में किसी कर्मचारी को निलंबित किया जाता है और निलंबन की उस अविध में उसके विरुद्ध कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाही की जाती हैं, तो उसे निलंबित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी लिसित रूप में कारण अधिलेखित करके यह निर्देश दे सकता है कि ऐसी सारी अथवा कोई बार्यवाही समाप्त होने तक कर्मचारी निलंबित रहेगा.
- (7) इस विनियम के अंतर्गत दिया गया अथवा दिया है ऐसा माना गया निलंबन अदेश तबतक लागू रहेगा, जबतक अदेश देनेवाला/अदेश जारी करनेवाला प्राधिकारी अथवा उससे उच्चतर प्राधिकारी उसमें संशोधन नहीं करता अथवा उसे रद्द नहीं कर देता.

दंड और अनुशासनिक प्राधिकारी

- (8) दंड उचित और पर्याप्त कारण होनेपर किसी कर्मचारीपर आगे के प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित दंड लगाये जा सकते हैं -मामुली दंड ।
 - (i) नाराजी सुचित करना (डांट-कटाकर)

(ii) उसकी पर्दोननित रोक देना.

(iii) मंडल के अदेशों के प्रति लापरवाही अथवा उनका उल्लंघन करने से हुए किसी अधिक घटे की पूरी अथवा अशिक राशि उसके (कर्मचारी के) वेतन से वसूल करना,

(iv) वेतनवृध्दि रोकना

भारी वंड ।

- (v) विशिष्ट अवधि के लिए समय वेतनमान के निष्यं स्तरपर पदावनित करना और साथ-साथ निम्न के संबंध में भी अदेश जारी करना - पदावनित की अवधि में कर्मधारी को उस पद की देय वेतनवृधिद मिलेगी अथवा नहीं, और - उस अवधि की समाप्ति के बाद भी निम्न स्तर पर लाये जाने के कारण उसकी भविष्य की वेतनवृधिद स्थागित होगी, अथवा नहीं.
- (vi) निम्न समय-वेतनमान में या नियती श्रेणी या पद्धपर पदाधनत करना - जिससे पदावनतिपूर्व के समय-वेतनमान श्रेणी या पद्धपर उसकी (पुनः) पदोन्नति में अवरोध /प्रतिबंध लगे. जहां से पदावनति की जाती है- उसी समय-वेतनमान, श्रेणी या पद्ध पर उसकी वापसी होगी, अथवा नहीं और यदि होगी, तो वापसी शर्ते एवं ऐसी वापसी के बाद उसकी वरियता और वेतन राशि आदि के संबंध में निदेश जायेंगे, या नहीं दिये जायेंगे.
- (vii) अनिवार्य सेवानिवृत्ति
- (viii) सेवा से बरलास्तगी, इस दंड के कारण कर्मचारी को भविष्य में मंडल की सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा.
 - (ix) सेवा से पद्मपुति इस देड के कारण सामान्यतया कर्मधारी को भविषय में मंडल की सेवा के लिए अयोग्य माना जायेगा.
 - स्पर्ण्टीकरण । इस विनिधम के अर्थाकरण में निस्नलिखित की गणना दंड के रूप में नहीं मानी जाएगी.
 - (i) कर्मचारी की नियुक्ति की इताँ के अनुसार अथवा उसने धारण किये पद से संबंधित विनिधम या अवेहों के अनुसार निर्धारित विभागीय परीक्षा में उन्तीर्ण न होने के कारण उसकी वेतनष्टिद का रोका जाना.
 - (ii) दक्षता रोध पार करने के लिए अघोग्य होने के कारण कर्मधारी का समय-वेतनमान में दक्षतारोध पर ही रोका जाना.
 - (iii) जिस श्रेणी या पद पर पदोननति के लिए वह पात्र है, उसपर पदोननति के संबंध में उसके मामलेपर विवास विमर्श के बाद उस्त पद पर मूलतः अथवा स्थानापन रूप में उसकी पदोननति न करना.

- (iv) कर्मधारी अपने पद से उंचे पद का कार्यभार संभाल रहा है, और उसका काम देखने के बाद उसे उक्त पद के लिए अयोग्य माने जाने के कारण या उसके आचरण से संबंधित न होनेवाले किसी प्रशासनिक अधार पर निम्न श्रेणी या निम्न पद पर उसका प्रत्यावर्तन (वापसी)
- (v) अन्य श्रेणी अथवा पद पर परिवीक्षापर नियुक्त किये गये कर्मचारी — नियुक्ति की शर्तों के अनुसार अथवा परिवीक्षा के लिए बनाये गये विनियम एवं आदेश के अनुसार परिवीक्षा अवधि के दौरान उसके स्थायी पदपर प्रत्यावर्तन.
- (vi) केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन प्राधिकरण से कर्मचारियों को सेवा में लिया गया था, वहाँ कर्मचारी की वापसी.
- (vii) कर्मधारी की अधिवर्षता अथवा सेवानिवृत्ति के प्रावधानों के अनुसार उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति.
- (viii) सेवाओं की समाप्ति ।
 - (क) परिवीक्षा पर रखे गये कर्मचारी की सेवाओं के नामले में परिवीक्षा के दौरानः अथवा परिवीक्षा अवधि समाप्त होनेपर उसकी नियुक्ति की शर्ती अथवा परिवीक्षा से संबंधित अदेशों एवं नियमों के अनुसार.
 - (ल) करारांतर्गत नियुक्ति किए गए कर्मधारी की सेवाओं के मामलों में - ऐसे कर्मधारियों के लिए लाग् आदेशों के अनुसार.
- (9) भर्ती से पहले किए जए दुराबार के लिए दंड

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी ने नियुक्ति से पहले कोई बुराधार किया है, तथा यह बुराधार वर्तमान रोजगार से जोड़ा जाता है, और परिणामस्वरूप, कर्मघारी सेवा जारी रखने के लिए अयोग्य समझा जाता है, तो ठीक एवं पर्याप्त कारण देकर आगे किये प्रावधान के अनुसार -विनियम 8 में विनिर्दिष्ट दंड दिया जा सकता है.

- (10) अनुसासनिक प्राधिकारी- कर्मचारियों पर अनुस्चि में यथा प्रदर्शित दंड लगाने के लिये अनुस्ची में तद्नुसार उल्लिखित प्राधिकारी सक्षम होंगे.
- (11) कार्रवाई प्राक्ष करानेवाले प्राधिकारी अध्यक्ष महोदय
 - (क) किसी भी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवार्ट प्रारंग करा सकते हैं.
 - (स्र) इन विनिधमों के अंतर्गत जो अनुशासनिक प्राधिकारी कर्मचारीपर विनिधम 8 में विनिर्दिष्ट कोई दंड लगाने के लिए सक्षम है, उस प्राधिकारी को उस कर्मचारी के विरुध्द अनुशासनिक कार्यवाही प्राप्त कराने के आदेश दे सकते हैं.
 - 2. जो अनुशासनिक प्राधिकारी कर्मचारीयर विनिधम 8 के लंड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट दंड लगाने के लिए सक्षम है, वह अगले --अर्थात विनिधम (8) के लंड (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट दंड स्वयं लागू कराने के लिए सक्षम नहीं हो, तो भी वह ऐसे दंड लागू कराने की दृष्टि से अनुशासनिक कार्यवाही आंग्र करा सकता है.

भाग VI दंड लगाने संबंधी प्रक्रिया

(12) भारी वंड लगाने संबंधी प्रक्रिया --

- (1) चिनियम 8 के <u>संड</u> (V) से (IX) में चिनिर्दिष्ट वंड लगाने संबंधी आदेश इस चिनियम में तथा चिनियम 18 में बतायी गयी पश्चिति से पूरी जांध-पड़ताल करने के बाद ही दिए जा सकते हैं.
- (2) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी यह अनुभव करें कि किसी कर्मधारी पर लगाये गये कदाबार अथवा दुवर्यवहार के असेप में कुछ तथ्य है, तो वह मामले की जांच-पडताल स्वयं कर सकता है या इस विनिधम के तहत अन्य किसी प्राधिकारी को इस कार्य के लिए नियुक्त कर सकता है.

स्पन्टीकरण । यदि स्वयं अनुधाधनिक प्राधिकारी द्वारा जांक-पड़ताल की जा रही है, तो इस विजियम में जांक पड़ताल प्राधिकारी से ताल्पर्य अनुधासनिक प्राधिकारी होगा.

- (8) कर्मचारी के चिरुष्य जहाँ इस चिनियम और विनियम 18 के तहत जाँच पड़ताल प्रश्तानित हो, अनुशासनिक प्राधिकारी को निम्नलिखित कार्य करने हाँगे -
- कदायार या दुवर्यवहार के विधरण के अधार पर निश्चित और सुस्पश्ट आरोपपत्र बनाना,
- (iii) कदाचार या पुरुर्घणहार के हर उद्योग के समर्थन में क्यारेश देना. इस क्योरिमें निम्न वार्ते अनी भातिए —
 - (क) सभी संबद्ध तथ्यों का विवरण कर्रावारी द्वारा गलती स्वीकार की गयी हो, तो उसके सहित
 - (ख) जिन क्स्तावेजों और मकाहों की ग्रवासी के लधारपर लाशेप सिंध्द किए जाने हैं उनकी सुधी.

टिप्पणी। यदि कर्मचारी मौजिक या लिखित रूप से उपविनिधम (8) में उन्निजित भूपी में नामित गवारों द्वारा की गई गवारी की प्रतियों की मांग करें तो जांप-पड़तात प्राधिकारी द्वारा उन्त प्रतियों जन्द से जन्द कर्मचारी को दी जानी चाहिए, अनुसासनिक प्राधिकरण द्वारा गवारों की साक्य ली जाने से क्य से कम 3 दिन पहले थे प्रतियों कर्मचारी को मिलनी ही चाहिए.

- (4) अनुशासन प्राधिकरण निम्न मद कर्मधारी को उपलब्ध करायेगा-जरोपपद की प्रति, कदाधार, दुव्यंवहार के आरोपों का विवरण, अनुशासनिक प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत किए जानेवाले दस्तावेजों एवं भवाहों की धुधी, कर्मधारी के तिए यह अवश्यक होगा कि वह विगिर्देष्ट अवधि में अपनी सफाई लिखित रूप में प्रस्तुत करें तथा यदि वह व्यक्तिगत सुनवाई पाहता है, तो तद्नुसार बतायें.
- (5) (क) सफाई का लिखित बयान प्राप्त होने के बाद उसमें जो अरोप स्थीकार नहीं किए होंगे, उनकी जांध पड़ताल अनुशासन प्राधिकरण स्थयं करें अथवा वह अवश्यक समझे, तो उपनिनियम (2) के अंतर्गत इस काम के लिए कोई जांध-पड़ताल प्राधिकारी नियुक्त करें यदि कर्मधारी द्वारा लिखित बयान में सारे अरोप स्थीकार किए गए होंगे तो अनुशासन प्राधिकरण उपित सब्द अदि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक अरोप के बारे में अपने निष्कर्ष अभिलेखित करेगा और विनियम 18 में निर्धारित पष्टदित से कार्य कोग्रा.

भाग V) यंड लगाने संबंधी प्रक्रिया

(12) भारी वंड लगाने संबंधी प्रक्रिया --

- (1) विनियम 8 के संड (V) से (IX) में विनिर्दिष्ट दंड लगाने संबंधी अदेश इस विनियम में तथा विनियम 18 में बतायी गयी पश्दिति से पूरी जांच-एड़ताल करने के बाद ही दिए जा सकते हैं.
- (2) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी यह अनुभव करें कि किसी कर्मचारी पर लगाये गये कदाबार अथवा युक्यंबहार के आरोप में कुछ तथ्य हैं, तो वह मामले की जांध-पड़ताल स्वयं कर सकता है या इस विनियम के तहत अन्य किसी प्राधिकारी को इस कार्य के लिए नियुक्त कर सकता है.

स्पष्टीकरण । यदि स्वयं अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जांध-पड़तात भी जा रही हैं, तो इस विनिध्स में जांव पड़ताल प्राधिकारी से सात्पर्य अनुशासनिक प्राधिकारी होगा.

- (३) कर्मधारी के विरुद्ध जहाँ इस विनियम और विनियम 18 के तहत जाँच पड़ताल अन्तावित हो, अनुशासनिक प्राधिकारी को निम्निलिसित कार्य करने होंगे -
- कदाचार या दुवर्यवहार के विवारण के अधार पर निश्चित और सुस्प•ट अरोपपत्र बनाना,
- (iii) कदाचार या बुवर्यवसार के हर आरोप के समर्थन में बयौरा देना. इस बयौरे में निम्न बातें अनी चाहिए —
 - (क) सभी संबंध्य तथ्यों का विधरण कर्मचारी द्वारा जलती स्वीकार की गयी हो, तो उसके सहित
 - (सी जिन दस्तानेओं और अवाहों की अवाही के अधारपर अरोप सिध्द किए जाने हैं उनकी सुधी.

टिप्पणी। यदि कर्मवारी मौसिक या लिखित रूप हे उपविनिधम (३) में उत्तिलिखित सूची में नामित गवाहों द्वारा की गई गवाही की प्रतियों की मांग्र करें तो जांब-पड़ताल प्राधिकारी द्वारा उस्त प्रतियां जन्द हे जन्द कर्मबारी को दी जानी चाहिए. अनुशासनिक प्राधिकरण द्वारा गवाहों की साक्ष्य भी जाने में कम से कम 3 दिन पहले ये प्रतियाँ कर्मबारी को मिलनी ही बाहिए.

- (4) अनुशासन प्राधिकरण निम्न मद कर्मधारी को उपलब्ध करायेगा-अरोपपत्र की प्रति, कदाचार, दुरुर्घक्तार के अरोंपों का विदरण, अनुशासनिक प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत किए जानेवाले दस्तावेजों एवं गवाहों की सूची, कर्मधारी के लिए यह अवश्यक होगा कि वह विभिद्धित अवधि में अपनी सकाई लिखित रूप में प्रस्तुत करें तथा यदि वह व्यक्तिगत सुनवाई याहता है, तो तद्नुसार बतायें.
- (b) (क) सफाई का लिखिल बयान प्राप्त होने के बाद उसमें जो अरोप म्लीकार नहीं किए होंगे, उनकी जोय पड़ताल अनुशासन प्राधिकरण स्वयं करें अथवा वह अवश्यक समझे, तो उपविनियम (2) के अंतर्गत इस काम के लिए कोई जोक-पड़ताल प्राधिकारी नियुत्त करें यदि कर्मधारी द्वारा लिखित बयान में सार अरोप स्वीकार किए गए होंगे तो अनुशासन प्राधिकरण उचित सक्त अदि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक अरोप के बार में अपने निष्कर्ष अभिलेखित करेगा और विनियम 18 में निर्धारित एकदित से कार्य करेगा,

BOMBAY PORT TRUST

- (स) कर्मधारी जपनी सपाई में लिखित चिवरण प्रस्तुत नहीं करता, तो अनुशासनिक प्राधिकरण आरोपों की लाँच पड़ताल रूपये को या आवश्यक हो तो उपविभिन्न (2) के अंतर्गत इस काम के लिए कोई जोध पड़ताल प्राधिकारी नियुक्त करें
- (ग) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी अरोपों की आँच पड़ताल स्वयं कर रहा हो, अथवा इस कार्य के लिए कोई आँच पड़ताल प्राधिकारी नियुक्त किया हो, तो वह अरोपों के समर्थन में अदेश द्वारा किसी उपक्ति को मामला प्रस्तुत करने के लिखे प्रस्तुतकर्ती अधिकारी (प्रेजेंटिंग ऑफीसर) के रूप में नामित कर सकता है.
- (6) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जोध-पङ्गात नहीं कर रहा हो, तो वह नियुक्त जाँध-पङ्गाल प्राधिकारी को निस्न दस्तावेज भेज दें.—
 - (क) अरोप पत्र की और कदाबार/दुवर्यवहार के अरोपों के विवरण विवरण की एक-एक प्रतिलिपि,
 - (ल) यदि कर्मधारी ने लिलित सफाई दी है, तो उसकी प्रतिनिधि
 - (म) उप-विनियस (३) में उल्लिसित ग्रवाहों के बयान यदि हो, तो उनकी प्रतिनिधियाँ.
 - (प्र) उपनिधम (३) में उपिनासित व्स्तावेज कर्मधारी को दिए गए हैं इसका सब्दन और
 - (ड) कथित प्रस्तुतकर्ता अधिकारी (प्रेजेंटिंग ऑफीसर) के नियुक्ति-अदेश की प्रतितिथि.
- (१) जाँच-पड़तान प्राधिकारी की लिखित स्थना में जाँच-पड़ताल के लिए जो दिन एवं समय निर्धारित होगा, उस समय पर अथवा प्राधिकारी की जनुमति है जन्य किसी समय कर्मधारी जाँच-पड़ताल प्राधिकारी के समग्रह स्वयं उपस्थित रहेगा.
- (8) अपनी तरफ से मागला प्रस्तुत करने के लिए कर्मधारी किसी भी अन्य कर्मधारी की, अथवा कर्मधारी तृतीय/धतुर्ध केणी का हो, तो इंडियन ट्रंड यूनियन कॅक्ट 1928 (1928 का 16) की धारा 2 के लंड (डी) में यथा परिभाधित किसी पदाधिकारी की अथवा अपने यूनियन की भी मदद से सकता है, लेकिन किसी वकील को नियुक्त नहीं कर सकता. यदि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त प्रस्तुतकर्ता अधिकारी रचयं वकील हो, तो अथवा मामले की परिस्थितियों को देखते हुए अनुशासनिक प्राधिकरण अनुसति दें, तो ही कर्मधारी किसी वकील की सहायता से सकता है.

टिप्पणी । कर्मचारी संडल के किसी ऐसे कर्मचारी की सहायता नहीं लेगा, जिसके पास पहले ही दो जनुशासनिक सामले लंबित हैं और जिनमें उसे महायता देनी है.

> (9) जिस कर्मधारी ने अपने लिलित सवान से कोई भी अरोप स्वीकार नहीं किया है अथवा जिसने कोई लिसित सफाई प्रस्तुत ही नहीं की हैं - ऐसा कोई अर्थवारी जाँब-पड़ताल प्राधिकरण के सामने उपस्थित होता है, तो प्राधिकरण उसे पूछेगा कि बया यह दोवी है अथवा उसे कोई सफाई पेश करनी है. यदि कर्मधारी किन्हों अरोप को स्वीकार करता है, तो प्राधिकरण उसकी यह बात अभिलेसित करें उसपर हस्ताक्षर करें तथा उस दस्तावेज पर कर्मधारी के थी हस्ताक्षर ले.

- (10) असीप पत्र में उल्लिखित जिन असोपों को कर्मवारी ने स्वीकार किया है वे असोपों को माबित करनेवाले दस्तावेज रमबूत जाँच पड़ताल प्राधिकरण द्वारा लौटाचे जायेंग्रे/उनके लिए जाँच-पड़ताल अधिकारी उसे दोबी करार देगा.
- (11) यदि संबंधित कर्मधारी निर्धारित अवधि में उपस्थित नहीं होता, या सकाई नहीं देता/देने से हनकार करता है, तो जाँच-पड़ताल प्राधिकरण प्रस्तुतकर्ती अधिकारी को खरोप साबित करने संबंधी सब्द प्रस्तुत करने के अदेश दे सकता है. तत्पश्यात अपनी सकाई पेश करनी की दुष्टि से कर्मधारी को निम्न आदेश जारी करने के बाद अधिक से अधिक 80 दिन तक भामता स्थानित किया जाय. —

अपनी सफाई देने की दृष्टि से कर्सवारी --

- (i) अवेश मिलने के 6 विनों के अंवर अधवा जांच-पड़ताल प्राधिकारी द्वारा की गई अधिक से अधिक 5 विनों की किरतारित अवधि में उपनिनियम (3) में उन्लिसित सूची में विनिर्दिष्ट वस्तावेजों की जाँच करें
- (ii) उसके गयाहाँ की सूची प्रस्तृत करें
- (iii) ऐसे वस्तानेज जो मंडल के पास हैं, लेकिन उपविनियम (3) में बतायी सुधी में उल्लिसित नहीं है, उन्हें ढूंढने अथवा प्रस्तुत करने के लिये अदेश की निधि से 10 विनों के अदर जथवा जांक पड़ताल प्राधिकारी द्वारा संमत विस्तारित अवधि (अधिक से अधिक 10 विन) में अवश्य सुबना भेजें.

दिण्याणी । मंडल द्वारा जो कस्तावेज ढूंढे/प्रस्तुत किए जाने अवश्यक हैं, कर्मधारी को उनकी आवश्यकता स्फट करनी होजी:

(12) करतावेज ठूंढने/प्रस्तुत करने संबंधी सूथना जिलने पर जाँच-पड़ताल प्राधिकारी द्वारा वह सूधना या उसकी प्रतितिपि, दक्त करतावेज जिस प्राधिकारी के पास उक्त करतावेज है, उसे भेजी जायेगी. इसके साथ ही संबंधित प्राधिकारी से मांग की जायेगी कि वह विनिर्दिष्ट तिथि तक वे करतावेज प्रस्तुत करें

यह व्यवस्था की जाती है कि यदि जॉब-पड़ताल प्राधिकारी के मतानुसार उक्त बस्तावेजों का मामले से कोई संबंध नहीं है, तो वह लिखित कारण देकर ऐसे दस्तावेज मंगवाने से इन्कार कर सकता है.

(18) उपविनिधम (12) में उम्लिसित धूमना (दस्तावेजों की मांग) निलनेपर मांगे गये दस्तावेज जिसके पास हैं ऐसा हर प्राधिकारी उन्त दस्तावेज जाँच-पड़ताल प्राधिकारी को प्रस्तुत कोला.

यदि मांगे गये दस्तावेज जिसके पास हैं, उसकी राय में वे दस्तावेज प्रस्तुत करना पोर्ट ट्रस्ट के हित में नहीं होगा, या ऐसा करने में राज्य की मुख्या को सतरा होगा, तो उसके कारण लिखित रूप में बताते हुए वह जाँक-पड़ताल प्राधिकारी को तद्नुसार स्थित कोगा. इस प्रकार सूचना मिलनेपर जाँक-पड़ताल अधिकारी इसकी जानकारी कर्मधारी तक पहुँवायेगा और उन्लिखित दस्तावेजों की तलाइ/प्रस्तुति की मांग वापस ली जाएगी.

- (14)(क) जाँच-पड़ताल के लिए जो दिन निश्चित किया गया है, उस दिन जिस मौलिक/दस्तावेजी सब्तों के जधारपर आरोप साबित किए जाने हैं, ये सब्त अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा या उसकी तरण से प्रस्तुत किए जारोंगे.
 - (स) गवाहों की साध्य प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा अथवा उसकी तरफ से ली जायेगी. कर्मधारी द्वारा था उसकी तरफ से उसकी प्रतिसाध्य की जा सकती है.
 - (म) जिन मुद्दोंपर किसी मवाह की प्रतिसाक्ष्य हो मुकी है, उन्हीं मुद्दोंपर प्रस्तुतकर्ता अधिकारी उसकी पुनः साक्ष्य ले सकता है, किंतु किन्हीं नये मुद्दोंपर मवाह की साक्ष्य जाँच-पड़ताल प्राधिकारी के अनुमति के बिना नहीं ली जा सकती.
 - (य) जॉब-पड़ताल प्राधिकारी को भी गवाह से योग्य सवाल पूछने की अनुमति है.
- (15)(क) अनुशासनिक प्राधिकारी की तरफ से पैरवी समाप्त होने से पहले पढ़ि प्रस्तुनकर्ता अधिकारी ऐसा कोई सबूत प्रस्तुन करना वाहता है, जिसका उल्लेख कर्मचारी को दी अधी सूची में नहीं है तो अवश्यकता को देखते हुए जाँच-पड़ताल प्राधिकारी सब्द प्रस्तुन करने की अनुमति प्रदान कर सकता है अथवा वह स्वयं भी नथा सब्त सांग सकता है या किसी गवाह को वापस बुलाकर दोबारा प्रश्ताष्ठ कर सकता है. ऐसी स्थिति में यदि कर्मचारी मांग करें तो उसे प्रस्तुन किए जानेवाले सब्तां/ दस्तावेजों की सूची दी जाये और जाँक-पड़ताल प्राधिकारी के मतानुसार योग्य अवधि तक प्रशास स्थारीत की जाय.
 - (स्र) उपरोक्त बस्ताकेल अभिनंतित किए जाने से पहले जाँक पड़तान प्राधिकारी द्वारा कर्मधारी को उनके निरीक्षण या उनहें पढ़ने का मौका किया जाय.
 - (म) यदि जाँच-पड़ताल प्राधिकारी की राय में कर्मधारी द्वारा प्रस्तुत नया सब्द नयापदान में सहायक होने की संभावना हो, तो वह कर्सधारी को भी नया सब्द प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है.
- टिप्पणी । सब्त में रही किसी कमी को पूरा करने के लिए नया सब्त प्रस्तुत करने की अथवा किसी रावाह को दोबारा बुताने की अनुमति नहीं दी जायेगी. ऐसा सब्त केवल तभी मोगा जाएगा, जब पहले प्रस्तुत सब्त मृतता सबोध होगा,
 - (16)(क) अनुशासनिक प्राधिकरण की पैरवी अतम होनेपर कर्मधारी को अपनी ब्रन्छानुसार सौतिक या लिखित रूप में अपनी सफाई प्रस्तुत करनी होगी.
 - (स) यदि सफाई भौतिक रूप से दी गई है, तो उसे रिकार्ड किया जायेगा और उसपर कर्मधारी के हस्ताक्षर लिए जायेंगे. सफाई मौसिक हो या लिखित, किसी भी मामते में सफाई के विवरण की एक प्रति कोई प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया हो, तो उसे दी जानी भाहिए.
 - (17)(क) प्रति दी जाने के बाद कर्सचारी की सरक से सब्त प्रस्तुत किया जाय

- (स्रो यदि कर्मधारी बाहे, तो अपनी तरफ से स्वयं ही अपनी जाँच-पड़ताल करेगा, उसके बाद उसके गवाहों की जांच होगी और उसके बाद अनुशासनिक प्राधिकरण के गवाहों को लागू प्रावधानों के अनुसार जाँच पड़ताल प्राधिकारी द्वारा इन गवाहों की भी प्रतिसाक्ष्य पुनगाक्ष्य/छानबीन की जा सकती है.
- (18) कर्मधारी पैरवी खत्म होने के बाद यदि कर्मधारी स्वयं अपनी जांध नहीं कर रहा है, तो जौंध-पड़ताल प्राधिकारी कर्मधारी को सबूत में उसके विरुद्ध जानेवाली स्थितियों के बारे में प्रश्न कर सकता है, ताकि कर्मधारी के पास उनका स्थल्टोकरण हो, तो दे सके.
- (19) सब्त प्रस्तुत करने का काम प्रा हो जानेपर जाँच पड़ताल प्राधिकारी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी - यदि नियुक्त किया गया हो -तो उसकी तथा कर्मचारी की सुनवाई करा सकता है जथवा यदि उनकी हब्छा हो, तो उन्हें अपने अपने मामलों का लिखित सुलासा (ब्रीफ) दर्ज कराने की अनुमति दे सकता है.
- (20) जिसे आरोपपत्र दिया गया है वह कर्मचारी यदि निर्धारित अवधि में अपना लिखित बयान प्रस्तुत नहीं करता है, जाँचपड़ताल प्राधिकारी के सामने स्वयं उपस्थित नहीं होता है अधवा इस विनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है/करने से इनकार करता है तो इन रिथतियों में जाँच पड़ताल प्राधिकारी संबंधित कर्मचारी की अनुपरिधित में सामले की सुनवाई कर सकता है -अर्धात 'एक तरका' (एक्स पार्टी) सुनवाई हो सकती है.
- (21)(क) जिस अनुशासनिक प्राधिकरण को विनिधम 8 के मद (1) से (14) में निनिर्धिकट वंड लागू करने के अधिकार हैं, तथापि विनिध्म 8 के मद (4) से (14) में चिनिर्धिकट वंड लागू करने के अधिकार नहीं हैं, ऐसे प्राधिकारी यदि सुद अरोधों की जाँच करता हैं या कराता है, और अपने निक्कारों के अधारपर अधवा उसके द्वारा निरुत्त जाँच पड़ताल प्राधिकारी के निक्कार्य पर असके अपने निर्णय के अधारपर यदि यह उचित समझता है कि विनिध्म 8 के मद (4) से (14) में विनिर्धिकट वंड लगाया जाना चाहिए, तरे वह जाँच पड़ताल के रिकार्ड उस प्राधिकरण के पास भेज सकता है, जिसे अंतिम वंड लागू कराने के अधिकार साँधे ग्राये हैं.
 - (स) उनत अभिलेख जिस अनुशासनिक प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाते हैं, वह प्राधिकरण उस अभिलेखों के अधारपर कार्यवाही कर सकता है - अधवा इस प्राधिकरण की राय में यदि किसी भी ग्रहाह की अधिक जांच करना न्यायदान में सहायक हो सकता हो, तो वह अवाहों को दोबारा बुलाकर उसकी साक्ष्य, प्रतिसाक्ष्य अधवा पुनासक्ष्य करवा सकता है. तत्पश्चात यह प्राधिकरण इस विनियस के अनुसार जो दंड लगाना उचित समझे, वह लगा सकता है.
 - (22) जॉब-पड़ताल मामले की पूरी या आशिक मुनवाई/अभिलेखन का काम होने के बाद किसी अनुशासनिक प्राधिकरण की अधिकारिता समाप्त होती है और वे अधिकार प्राप्त होनेवाले अन्य अनुशासनिक प्राधिकारी की अधिकारिता प्राप्त होती है, तो नया अनुशासनिक प्राधिकरण पिछले प्राधिकरण द्वारा पूर्ण किए गए अभिलेखों के अधारपर अथवा कुछ हद तक पिछले प्राधिकरण द्वारा और कुछ हद तक स्वयं उसके द्वारा चलायी गयी मुनवाई के अधारपर काम कर सकता है.

हसमें यह उपवस्था की गयी है कि नये अनुशासनिक प्राधिकरण की राय में यदि जिन गवाहों की साक्ष्य पहले की जा चुकी है, उनकी अधिक जांच करना उपयुक्त हो सकता है, तो यह प्राधिकरण पहले के प्रावधान के अनुसार ऐसे गवाहों को साक्ष्य, प्रतिसाक्ष्य या पुनासाक्ष्य के लिए दोबारा बुला सकता है.

- (23) (i) जॉब-पड़ताल पूर्ण हो जानेपर उसकी रिपोर्ट तैयार की जायेगी, जिसमें निम्न बातों का समावेश होगा. —
 - (क) आरोप के मद तथा कदाचार या दुवर्यवहार के अरोपों का विवरण
 - (ख़) हर अरोप के संदर्भ में कर्मचारी की सफाई
 - (ग) हर आरोप के समर्थन में प्रस्तुत किए गए सब्दा का मूल्यांकन
 - (ध) हर आरोप से संबंधित निष्कर्ष एवं उसके कारण

स्पन्नदीकरक ? चिदि जांध-पड़ताल प्राधिकारी की राय में जांध-पड़ताल के दौरान कोई भी अरोप मूल अरोप से अलग साबित होता है, तो वह उसपर अपना निष्कर्ष अभिलेखित करें बहार्त कि इस तरह अभिलेखित तबतक नहीं किया जायेगा, जबतक अरोप जिन तथ्योंघर आधारित हैं, उन्हें कर्मधारी स्वीकार नहीं करता, या उनपर सकाई देने के लिये पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाता.

- (ii) यदि जांथ पड़ताल प्राधिकाण स्वयं ही अनुशासनिक प्राधिकरण नहीं है, तो जांध-पड़ताल प्राधिकारी द्वारा जांध-पड़ताल के अभिलेख अनुशासनिक प्राधिकरण को भेजे जायेंगे -जिनमें कागजात सम्मिलित होंगे :
- (क) उसके द्वारा सद (i) के अंतर्गत बनायी गयी रिपोर्ट,
- (स) यदि प्रस्तुत किया गया हो, तो कर्मचारी का लिसित बयान,
- (ग) जांच-पड़लाल के दाँगान प्रस्तुत और रिकार्ड किया मौसिक और निसित सब्दत
- (ध) जांध-पड़लाल के दौराज प्रस्तुतकर्ता अधिकारी या कर्मचारी अथवा दोनों की तरफ से दर्ज सुजासा/वयौरा (श्रीफस्)
- (ड) जांध-पड़ताल के दौरान अनुशासनिक या जांच पड़ताल प्राधिकरण द्वारा कोई आदेश जारी किए गए हो, तो वे आदेश.
- (13) जांच-पड़ताल रिपोर्ट गर कार्यवाही (1) यदि अनुशासनिक प्राधिकरण स्वयं जांच-पड़ताल प्राधिकारी नहीं है, तो वह लिखित कारण बताकर अधिक जाँच-पड़ताल और रिपोर्ट के लिए मामला जाँच-पड़ताल प्राधिकारी के पास भेज सकता है, जिसपर जांच-पड़ताल प्राधिकारी जहां तक संभव हो, विनिधम 12 के अनुसार अमे जांच-पड़ताल कर सकता है.
 - (2) यदि किसी आरोप के बारे में अनुशासनिक प्राधिकरण जांच-पड़ताल प्राधिकारी से सहमत नहीं है, तो वह इस असहमति के कारण बताये तथा यदि प्राप्त सब्त पर्याप्त हो, तो संबंधित अरोप पर अपने निष्कर्ष अभिनेखित करें!

(8) सारिया कुछ आरोपों के संबंध में अपने निष्कर्षों को देखते हुए यदि अनुशासनिक प्राधिकरण की यह शय हो, कि कर्मबारी पर विनियम 8 के मद् (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट कोई दंड लगाया जाना बाहिए, तो वह विनियम 14 में निहित किसी बात के बावजूद भी ऐसा दंड लागू करने का आदेश जारी करेगा.

200

JAC

- (4)6) सारे या कुछ आरोपों संबंधी अपने निष्कर्षों को देखते हुए यदि अनुशासनिक प्राधिकरण की यह राय हो कि कर्मचारीपर विनियम 8 के मुद्ध (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट कोई दंड लगाया जाय, तो वह --
 - (क) हर आरोप के संबंध में प्राधिकरण के निष्कर्ष तथा उसके द्वारा की गयी जाँच-पड़ताल की रिपोर्ट की प्रतिलिपि अनुशासनिक प्राधिकरण द्वारा जाँच-पड़ताल की गयी हो, तो उस प्राधिकरण की रिपोर्ट की प्रतिलिपि हर आरोप के संबंध में उसके निष्कर्ष का विवरण तथा अनुशासनिक प्राधिकरण कुछ बातों में जाँच-पड़ताल प्राधिकरण से असहमत हो, तो असहमति के संक्षिप्त कारण आदि कागजात कर्मचारी के पास भेजें.
 - (स) कर्मचारी को उसपर लागू होनेवाले प्रस्तावित दंड की सूचना भेजें तथा कर्मचारी को विनिधम 12 के तहत की गयी जांक-पड़ताल के दौरान प्रस्तुत सबूत के आधारपर प्रस्तावित दंड के संदर्भ में यादे वह कोई प्रतिवेदन देना चाहता है, तो नोटित में विनिर्दिष्ट अवधि में अथवा अनुशासनिक प्राधिकरण द्वारा सम्मत किस्तारित अवधि में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये स्चित करें
- (ii) जिस मामले में केंद्र सरकार से परामर्श करने की अवश्यकता है, ऐसे प्रत्येक मामले में अनुशासनिक प्राधिकरण जाँच-पड़ताल के अभिलेख, सद (i) के तहत जारी की मयी नोटीस की प्रतिलिपि और ऐसी नोटीस के जवाब में कोई प्रतिवेदन दिया गया हो, तो उसकी प्रतिलिपि आदि कामजात तथा अपनी सिकारिशें आदेशार्थ केंद्र सरकार को भेजे.
- (iii) यदि केंद्र सरकार से परामर्श करने की जायहयकता नहीं है, तो अनुशासनिक प्राधिकरण मद (i) के तहत जारी की गयी नोटीस के जवाब में कर्मचारी ने कोई प्रतिवेदन दिया हो, तो उसपर विचार कोगा. यदि प्राधिकरण के मतानुसार कर्मचारीपर कोई दंड लगाना उचित है, तो वह दंड निर्धारित करेगा तथा उचित आदेश जारी करेगा.
- (14) सामान्य दंड लगाने की प्रक्रिया (i) विनियम 12 के उप विनियम (8) के प्रावधानों के अनुपालन करने के बाद विनियम 8 के अंड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट दंड में से किसी भी प्रकार का दंड लगाने का अदेश तबतक जारी नहीं किया जायेगा, जबतक कि विम्नलिखित अध्यारिकताएं पूरी नहीं हो जाती ।
 - (क) कर्मचारी के विरुध्द कार्यवाही करने के प्रस्ताव की लिखित स्थना उसे दी जाय, कदाचार/दुठर्यवहार के किन अरोपों के लिये उसपर कार्यवाही की जानी है यह भी उसे स्पष्ट किया जाय, उन्त प्रस्ताव के संदर्भ में कर्मचारी यदि कोई प्रतिवेदन करना चाहे, तो उसे प्रतिवेदन देने का अवसर दिया जाय.

- (स्र) अनुशासनिक प्राधिकरण के मतानुसार जिसमें जाँच-पड़ताल अवश्यक है ऐसे हर मामले में विनियम 12 के उपविनियम (8) से (28) में निर्दिष्ट पश्कति से जाँच-पड़ताल कराई जाय.
- (ग) कर्मचारी द्वारा मद (क) के अंतर्गत कोई प्रतिबंदन प्रस्तुत किया गया हो, तो उस प्रतिबंदन पर और मद (ल) के अंतर्गत कोई जाँच-पड़ताल कराई गयी हो, तो उसके रिकार्ड - दोनों पर गौर किया जाय.
 - (ध) कदाचार दुवर्धवहार के प्रत्येक अरोप के बारे में निष्कर्ष रिकार्ड किया जाय.
- (2) ऐसे मामले के कार्यवृत्त में निम्न बातें सम्मिलित होगी --
 - (क) कर्मचारी के विरुध्द प्रस्तावित कार्यवाही की उसे भेजी गई स्थना की प्रतिलिपि.
 - (स) कर्मचारी को भेजे गये कदाचार/दुर्व्यवहार के आरोपों के विवरण की प्रतिलिपि
 - (ग) यदि किया हो, तो कम्रवारी का प्रतिवेदन
 - (ध) जॉक्यइताल के दौरान प्रस्तुत किया गया सब्स,
 - (3) कदाचार-दुर्व्यवहार के हर आरोप संबंधी निष्कर्ष
 - (च) मामले संबंधी दिया गया निर्णय तथा उसके कारण
- (8) उपविनिधम (1) के सुंह (बी) में निहित प्रावधानों के होते हुए
 भी -कर्मधारी के प्रतिवेदन पर विधार करने के बाद किसी मामले में प्रदि ऐसा प्रस्ताव दिया जाय कि- कर्मधारी की वेतनवृध्दि तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये रोक दी जायः उसकी वेतनवृध्दि किसी अवधि के लिये संबंधित (स्पुल्युलेटिव्ह) प्रभाव से रोकी जाय -अथवा यदि वेतनवृध्दि के रोक जाने के कारण कर्मधारी के पेन्शन पर विधारत प्रभाव पहता हो, तो उस स्थिति में कर्मधारी पर ऐसा कोई भी दंड लगाने के आदेश जारी करने से पहले जाँच-पड़ताल अनिवार्यतः विनिधम 12 के उपविनिधम (8) से (28) में उल्लिसिन प्रध्वति से ही की जायेगी:
- (15) अबेहों की सूचना— अनुशासनिक प्राधिकरण के अवेश कर्मधारी को सूचित किए जाएंगे. यदि अनुशासनिक प्राधिकरण द्वारा जांच-पड़ताल की गई हो, तो उसकी रिपोर्ट की प्रतिलिपि तथा हर अरोप से संबंधित निष्कर्षों की प्रतिलिपि भी कर्मधारी को दी जाएगी. यदि अनुशासनिक प्राधिकरण नहीं है, तो जांच-पड़ताल प्राधिकारी की रिपोर्ट की प्रतिलिपि तथा यदि अनुशासनिक प्राधिकरण जांच-पड़ताल-प्राधिकारी से सहसत नहीं है, तो असहसति के कारण बताते हुए अनुशासनिक प्राधिकरण के अपने निष्कर्षों के विवरण की प्रतिलिपि भी यदि पहले न दी गई हो, तो कर्मधारी को दी जानी चाहिए.
- (16) सामुहिक कार्यवाही (1) अगर किसी मामले में दो या अधिक कर्मेचारी संबंध्द है, तो अध्यक्ष अथवा ऐसे सभी कर्मचारियों को सेवा से निकाल देने के लिए सक्षम प्राधिकारी उन सभी कर्मचारियों के विरुध्द सामुहिक अनुशासनिक कार्यवाही कराने के आदेश दे सकता है.

- (2) अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) और इन विनियमों के के विनियम 10 के प्रावधानों के अनुपालन में ऐसे किसी भी अदेश में निम्न हानें विनिर्दिष्ट की जायेगी.
 - (i) ऐसी सामुहिक प्रक्रिया के लिए कौनसा प्राधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी के नाले काम देखेगा,
 - (ii) ऐसा अनुशासनिक प्राधिकारी विनिधम 8 में विनिर्दिष्ट कौनसे वंड लगाने के लिए सक्षम होगा,
 - (iii) कार्यवाही के लिये विनियम 12 और 18 अथवा विनियम 14 या विनियम 19 में से किसमें निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जाय.
- (17) कुछ विक्रिय्ट मामर्लो में विक्रेष कार्यवाही विनियम 12 से 16 में निहित किसी भी बात के होते हुए भी -
 - (i) जहाँ कर्मधारी पर किसी अधरण के लिए उसे अपराधी ठहराये जाने की कजह से दंड लगाया गया है.
 - (ii) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकरण के मतानुसार इन विनियमों के प्रावधानों में निर्धारित पध्दिति से जांच-पड़ताल कराना रूपवहार्य नहीं है - इसके कारण लिखित रूप में बताने होंगे, अथवा
 - (iii) जहाँ अध्यक्षजी को विश्वास हो कि इस प्रक्रिया का अनुपालन करना पोर्ट की सुरक्षा के लिए हितकर नहीं है — ऐसे मामलों में अनुशासनिक प्राधिकरण मामले के तथ्योंपर

एस मामला म अनुशासानक प्राधिकरण मामले के तथ्योप विचार करे तथा उसके मतानुसार उचित अदेश दें:

बशर्ते कि अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (ए) के अंतर्गत अनेवाले किसी कर्मचारी के संबंध में ऐसे अदेश जारी करने से पहले केंद्र मरकार की अनुमति प्राप्त की जाय.

- (18) केंद्र सरकार आदि की सेवा में भेजे गये कर्मवारियों के लिए प्रावधान
 - (1) यदि किसी कर्मचारी को केंद्र या राज्य सरकार या उसके अधीन किसी अन्य प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण (जिसका उल्लेख इस विशिधम में इसके आगे लेनेवाला प्राधिकरण (बॉरोइंग अॅथॉरिटी) के नाम से किया जायेगा) की सेवाओं में भेजा गया है, तो अवश्यकता होनेपर कर्मचारी के विरुध्द अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए लेनेवाले प्राधिकरण को अनुशासनिक प्राधिकरण के अधिकार प्राप्त होंगे.

बशर्ते कि जिन रिधतियों में कर्मबारी के निलंबन के अदेश दिए गए या अनुशासनिक कार्यवाही प्राप्त की गयी, उन रिधतियों की विस्तृत जानकारी लेनेवाले प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष जी के पास भेजी जाएगी.

- (2) कर्मधारी के विरुध्द की गई अनुशासनिक कार्यवाही के निरूक्षों को ध्यान में रसते हुए --
 - (i) यदि लेनेवाले प्राधिकरण के मतानुसार कर्मधारी पर विनियम 8 के मद (i) से (iv) में उल्लिखित दंड लगाना उचित प्रतीत होता हो, तो वह अध्यक्ष जी परामर्श करने के बाद इस मामले में आवश्यक अदेश जारी कर सकता है.

बशर्त कि लेनेवाला प्राधिकरण और अध्यक्ष जी एक द्सरे से सहमत नहीं हुए तो संबंधित कर्मधारी को मंडल की सेवाओं में वापस भेजा जाएगा.

(ii) यदि लेनेवाले प्राधिकरण के मतानुसार कर्मचारी पर विनियम 8
के मुद्ध (v) से lix) में उल्लिखित वंड लगाया जाना पाहिए, तो
वह संबंधित कर्मचारी को मंडल के पास वापस भेज देगा,
- तथा जांच-पड़ताल का कार्चवृत्त अध्यक्षजी को अग्रेषित के सा
जिसपर अध्यक्षजी अवश्यक आदेश जारी के से.

वहातें कि ऐसा कोई आदेश जारी करने से पहले अध्यक्ष विनियम 18 के उप विनियम (8) और (4) के प्रावधानों का अनुपालन करेंगे.

यह भी प्रावधान है कि यदि ऐसा आदेश अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के मद (ए) के अतर्गत आनेवाले कर्मबारी से संबंधित है, तो केंद्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने तक ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जायेगा.

स्पन्दीकरण - "लेनेवाले प्राधिकरण" द्वारा भेजी गयी जांच-पड़ताल रिपोर्ट के अधारपर। अथवा यदि उसके मतानुसार अवश्यक हो, तो विनियम 12 का अनुपालन करते हुए अधिक छानबीन के बाद, अनुशासनिक प्राधिकरण अपना आदेश जारी कर सकता है.

- (19) केंद्र सरकार अदि की सेवाओं से लिए गए कर्मचारियों से संबंधित प्रावधान केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उनके अधीनस्थ कार्यालय, अथवा किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के किसी कर्मचारी की सेवाएं प्राप्त की गई हो, और यदि उस कर्मचारी के निलंबन का आदेश दिया हो, या अनुशासनिक कार्यवाही की गयी हो, तो वह मूलता जिसकी सेवाओं में है (जिसे इन विनियमों में अब देनेवाला प्राधिकरण (लेडिंग ऑटेरिटी) के नाम से जाना जायेगा) उस प्राधिकरण को किन परिस्थितियों में उसे निलंबित किया गया या उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गयी, इसकी पूरी जानकारी दी जायेगी.
- कर्मचारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही के निष्कर्यों को ध्यान में रखते हुए —
 - (i) यदि कर्मचारी पर विनिधम 8 के मद (i) से (iv) में निर्धारित दंड लगाने का निर्णय लिया जाता है, तो उस सामले में विनिधम 13 के उपविनिधम (3) के प्रावधानों को ध्यान में रसते हुए और देनेवाले प्राधिकरण से परामर्श करने के बाद अनुशासनिक प्राधिकरण आवश्यक अदेश जारी कर सकता है.

बंशर्ते कि लेनेवाले प्राधिकरण और देनेवाले प्राधिकरण के बीच मतैक्य हो, तो कर्मवारी को देनेवाले प्राधिकरण में भेजा जायेगा.

(ii) यदि अनुशासनिक प्राधिकरण की राय में कर्मवारी पर विनियम 8 के संड (v) से (ix) में निर्धारित दंड लगाना उचित होगा, तो वह संबंधित कर्मचारी को देनेवाले प्राधिकरण के पास वापस भेजेगा तथा जांच पड़ताल का कार्यवृत्त अवश्यक कार्यवाही के लिए उस प्राधिकरण को प्रस्तुत कथा.

mai VII

पुनरावेदन (अपील)

- (20) ऐसे अदेश जिनके विरुध्द पुनरावेदन स्वीकार्य नहीं होगा इस भाग में निहित किसी भी बात के बावजूद भी निस्न के विरुध्द किसी प्रकार का पुनरावेदन स्वीकार्य नहीं होगा —
 - (i) केंद्र सरकार द्वारा दिया गया जदेश
 - (ii) अध्यक्ष महोदय द्वारा युनसचेदन में अथवा युनरीक्षण में दिया गया आदेश
 - (iii) जांय प्राधिकारी द्वारा नियम 12 के अंतर्गत करायी जीच के दौरान जारी किया गया कोई अदेश
 - (iv) अतर्वति प्रकृति (इंटरलॉक्यूटरी) के अदेश अथवा सहायक कदम (स्टेप इन एड) स्वरूप के अदेश अथवा निलंबनादेश को छोड़कर अन्य किसी अनुशासनिक कार्यवाहीपर दिया अतिम निर्णय.
- (21) ऐसे अदेश जिनके विरुध्द पुनरावेदन स्वीकार्य होगी -- नियम 20 के प्रावधानों के अधीन कोई कर्मधारी निम्न सभी अदेशों के अथवा उनमें से किसी भी अदेश के विरुध्द पुनरावेदन कर सकता है --बशर्ते कि विनियम 20 का अनुपालन होता है.
 - (i) नियम 7 के अंतर्गत दिये गये अथवा उसके अंतर्गत माने गये जिलंबनादेश के विस्टिट,
 - (ii) अनुशासनाधिकारी द्वारा लगाये गये नियम 8 में विनिर्दिष्ट किसी दंड के आदेश के विसद्द
 - (iii) क. कर्मचारी को विनिधमों द्वारा/मिनिधमित उसके वेतन, भटते, निवृत्तिवेतन अथवा अन्य सेवा शतों से वंचित रसनेवाले अथवा उनमें कर्मचारी की दृष्टि से अहितकर होनेवाले/ फेरफार करने वाले आदेश के विरुद्ध अथवा
 - स. ऐसे किसी विनिधम के प्रावधानों का कर्मवारी की दृष्टि से अहितकारी अर्थ लगाने वाले आदेश के निरुध्द
 - (iv) ऐसे आदेश --
 - क. जो- कर्मधारी को दक्षतारोध पार करने में अयोग्य होने के कारण समय वेतनमान में दक्षतारोध पर ही रोकते हैं.
 - स्त. जो उच्च श्रेणी या पद का संभाल रहे कर्मचारी को दंड के रूप में नहीं, बल्कि अन्य किसी कारण से निचली श्रेणी या पदपर वापस भेजते हैं.
 - ग. जो- कर्मचारी को निवृत्ति वेतन से वंचित करते या उसका निवृत्तिवेतन रोक रसते हैं, अथवा उसे विनियमों के अतर्गत देय अधिकतम निवृत्तिवेतन की राशि कम करते हैं.
 - य. जो- कर्मधारी के निलंबन की अथवा उसे निलंबित माने जाने की पूरी या अशिक अवधि के लिए उसे दिया जानेवाला निर्वाह भरता और अन्य भरते निश्चित करता है.

(21)(iv) ड. जो निरुन अवधियों के लिये कर्मचारी के वेतन और भटते तय करता हैं -

- (i) निलंबन की अवधि के लिए अथवा
- (ii) सेवा से पदच्युत करने, हटाये जाने अथवा अनिवार्यतः सेवानिवृत्त कराने की तिथि से, अथवा निवली श्रेणी,/ पद, या समय-मान अथवा समय वेतनमान के निवले स्तर पर उसे अवनत कर देने की तिथि से उसकी श्रेणी अथवा पदणर उनकी वापसी की तिथि तक की अविधि के लिये अथवा
- य. ऐसा अदेश जो यह निश्चित करे कि कर्मचारी के निलंबन की तिथि से अथवा उसकी पदच्युति, बरलास्तर्गी अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि से अथवा निचली श्रेणीर, यद या समय वेतनमान या समय वेतनमान के निचले स्तर पर अवनत कर देने की तिथि से उसकी मूलश्रेणी अथवा पदपर उसकी वापसी की तिथि तक की अवधि किसी प्रयोजन के लिए सेवा अवधि के रूप में मानी जाये या नहीं.

स्फटीकरण । इस विनिधम में --

- 'कर्मबारी' में वह उपनित भी सम्मिलित है, जो अब मंडल की सेवा में न हो,
- (ii) 'निवृत्तिवेतन' में अतिरिक्त निवृत्तिवेतन, उपदान (गॅन्युइटी) तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ शामिल हैं.
- (22) जपीली प्राधिकारी मंडल की सेवा में अब न रहनेवाले व्यक्ति सिंहत कोई भी कर्मचारी निवन से संबंधित पुनरावेदन निवन प्राधिकारियाँ से कर सकता हैं.
 - (i) निलंबन अदेश के विरुध्द उस प्राधिकारी के पास, जजी निलंबन अदेश देनेवाले प्राधिकारी का निकटतम वरिष्ठ हो.
 - (ii) विनियम 8 में उल्लिसित कोई दंड देनेवाले आदेश के विरुध्द -इस कार्य के लिए अनुसूची में उल्लिसित प्राधिकारी के पास
 - (iii) विनियम 20 के सड (iii) और (iv) में उत्तितितित सभी अथवा उसमें से किसी अदेश के विरुध्द - उस प्राधिकारी के पास जिसे कर्मधारी पर पदण्युति का दंड लगानेवाले अदेश के विरुध्द किये पुनरावेदन पर विचार करने का अधिकार प्राप्त है.
- (23) विशेष परिस्थितियों में पुनरावेदन प्राधिकारी -- विनियम 22 में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी --
 - (i) संपुरत कार्यवाही में दिये गये अदेश के विसद्ध किया गया पुनरावेदन अनुशासनिक प्राधिकारी जिसके सीधे नियंत्रण में काम करता है उस प्राधिकारी के सामने प्रस्तुत होगा

- (ii) जिस अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दिये गये अदेश के विरुध्य पुनराक्दन किया गया है, वह प्राधिकारी पदि बाद में अध्यक्ष बन जाता है तो उक्त अदेश के विरुध्द किया गया पुनराक्दन केंद्र सरकार के पास जायेगा और जहाँतक उस पुनराक्दन का संबंध है, इस विनियम के प्रयोजन के लिए यह माना जायेगा कि पुनराक्दन प्राधिकारी केंद्र सरकार है.
- (24) पुनरावेदन के लिये निर्धारित अविध केवल उन्हीं पुनरावेदनों पर विचार किया जायेगा। जो जिस अवेश के विस्टूड पुनरावेदन करना है, उस आदेश की प्रतिलिपि पुनरावेदनकर्ता को दिए जाने की तिथि से दो महीनों के अदर प्रस्तुत किये गये है.

बशर्ते कि अपीली प्राधिकारी की राय में यदि निर्धारित समय में पुनरावेदन न करने के पुनरावेदनकर्ता के कारण पर्याप्त है, तो वह कथित अवधि समाप्त होने के बाद भी अपील पर विचार/कार्यवाही कर सकता है.

- (25) अपील का स्वरुप और विषय वस्तु (I) पुनरावेदन करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति पुनरावेदन अलग से तथा स्वयं अपने नाम से प्रस्तुत करेगा.
 - (2)(क) पुनरावेदन इसके लिये निर्धारित प्राधिकारी को ही किया जाय और उसकी प्रतिलिपि जिस अदेश के विरुध्द पुनरावेदन किया जा रहा है, वह अदेश जिसने जारी किया था उस प्राधिकारी को भेजी जाय.
 - (स) पुनरावेदनकर्ता ने जिनके अधारपर पुनरावेदन किया है, वे सारे विवरण एवं दलीलें पुनरावेदन में मिमलित होगी और पुनरावेदन अपने अप में परिपूर्ण होगा. पुनरावेदन में अनादरणीय भाषा प्रयुक्त नहीं होगी.
 - (8) जिसके अदेश के विरुध्द पुनरावेदन किया गया है, उस प्राधिकारी को पुनरावेदन की प्रतिलिपि प्राप्त होते ही अपीली प्राधिकारी के निदेशों की प्रतीक्षा एवं अनावश्यक विलंब किये बिना अंत प्रतिलिपि पर अपनी टिप्पणी लिसकर संगत अभिलेखों के साथ उसे अपीली प्राधिकारी के पास भेजेगा.
- (26) पुनरावेदन पर विचार (1) निलंबन अदेश के विरुध्द पुनरावेदन के मामले में अपीली प्राधिकारी विनिध्म 7 के प्रावधानों पर तथा मामले की परिस्थितियों पर ध्यान देते हुए निलंबन आदेश उचित हैं अथवा नहीं इसपर विचार कोगा और तद्नुसार आदेश की पुष्टि कोगा अथवा उसे रद्द कोगा.
 - (2) विनियम 8 में उल्लिखित किसी भी दंड देने के आदेश अथवा उनत विनियम के अंतर्गत दिया गया दंड बढ़ाने के आदेश के विरुध्द किये गये पुनरावेदन के मामले में अपीली प्राधिकारी निम्न पर विधार करेगा.
 - (क) क्या इन विनिधमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है? अगर नहीं, तो इस तरह पालन न करने के परिणामस्वस्य क्या उचित न्याय नहीं हुआ है ?
 - (अ) क्या अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्ष अभिनेसित सब्तपर अधारित हैं १

(ग) क्या लगाये अये खंड पर्यापन, अपर्यापन अथवा कठोर हैं १ और

निम्न आदेश जारी करेगा --

- (i) दंड की पुष्टि करना, दंड बढाना, कम करना अथवा रद्द करना अथवा
- (ii) मामले की परिस्थितियों के अनुसार उचित निदेश देते हुए मामला मूलतः दंड लगाने या बढ़ाने वाले प्राधिकारी अथवा अन्य किसी प्राधिकारी के पास भेजेगा.

परंतु --

- (i) अपीली प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताचित दंड बढोत्तरी विनियम 8 के लंड (v) से लेड (ix) में उन्लिसित दंडों में से एक है और विनियम 18 के अंतर्गत मामले की पहले जांध नहीं की गयी है, तो अपीली प्राधिकारी विनियम 17 के प्रावधानों के अंतर्गत स्वयं जांध करेगा अधवा यह निर्देश देगा कि विनियम 12 के प्रावधानों के अनुसरण में जांच की जाय. तत्पश्चात ऐसी जांच की प्रक्रिया पर विचार करने के बाद, तथा विनियम 18 या उपविनियम (श) के प्रावधानों के अनुसार जहाँ तक संभव हो, पुनरावेदनकर्ता को ऐसी जाँच के दौरान दी गयी साक्ष्य के अधार पर प्रस्तावित दंड के विरुध्द प्रतिवेदन करने के लिये पुनरावेदनकर्ता को पर्याप्त समय देने के बाद, उचित आदेश देगा.
- (ii) अपीली प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित दंड बढ़ोतरी विनियम 8 के संड (v) से संड (ix) में उन्लिलित दंडों में से एक है और विनियम 12 के अंतर्गत जांच की गयी है, तो पुनरावेदन प्राधिकारी पुनरावेदनकर्ता को उचित अवसर देगा और ऐसी जांच के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य के अधारपर प्रस्तावित दंड के विरुद्ध प्रतिवेदन केने के लिये पुनरावेदनकर्ता को विनियम (18) के उपविनियम (4) के प्रावधानों के अनुसरण में संभाव्य अवसर देने के बाद उचित आदेश जारी करेगा.
- (iii) किसी भी मामले में दंड की बढ़ोतरी के संबंध में तबतक आदेश नहीं दिया जाएगा, जबतक पुनरावेदनकर्ता को ऐसे छढ़े हुए दंड के विरुध्द विनिधम 12 के अनुपालन में प्रतिवेदन करने के लिए उचित अवसर नहीं दिया जाता.
- (8) विनिधम 21 में विनिर्दिष्ट अन्य किसी आदेश के विरुध्द किये गये पुनरावेदन के मामले में अपीली प्राधिकारी उस मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार कोगा और उसकी दृष्टि से उचित और न्याय संगत अदेश देगा..
 - (27) पुनरावेदन पर दिधे अदेश का कार्यान्वयन जिस प्राधिकारी द्वारा दिए गए अदेश के विरुध्द पुनरावेदन किया गया है, वह प्राधिकारी पुनरावेदन प्राधिकारी के अदेशों को कार्यान्वित करेगा.

भाग VIII पुनरीक्षण

(28 पुनरीक्षण (1) इन विनिधमों में निहित किसी बात के बावज्द भी (1) केंद्र सरकार, अथवा

(ii) अध्यक्ष

स्वयं अपने मतानुसार, या अन्य किसी कारण से उस जाँध-पडताल के रेकार्ड मंग्रवा सकते हैं, और उन आदेशों का पुनरीक्षण कर सकते हैं - जो इन विनियमों के अंतर्गत अथवा विनियम थी द्वारा रवद ठहराये गये किसी विनियम/आदेश के अंतर्गत जारी किये गये हैं, पर पुनरावेदन किया नहीं गया है, उन अथवा जहाँ अपील की अनुमति नहीं है वहाँ आवश्यकतानुसार केंद्र सरकार से परामर्श करके -सभी मामलों में -

- (क) अदेश की पुष्टि कर सकते हैं, उसे संशोधित कर सकते हैं, अथवा अपास्त कर सकते हैं, अथवा
- (स) आदेश में लगाये गये दंड की पुष्टि कर सकते हैं, वंड घटा-बढ़ा सकता हैं अथवा उसे अपास्त कर सकते हैं अथवा जहां दंड न लगाया गया हो, वहां दंड लगा सकते हैं, अथवा
- (ग) मामले की परिस्थितियों को देसते हुए उनकी राय में यदि अधिक जांच-पडताल आवश्यक है, तो उस संबंध में उचित निदेश देते हुए वे यह मामला आदेशकर्ता प्राधिकारी अथवा अन्य किसी प्राधिकारी के पास भेज सकते हैं। अथवा
- (दा) उनकी दृष्टि से उचित आदेश पारित कर सकते हैं, परंतु पुनरीक्षा प्राधिकारी द्वारा दंड लगाने अथवा बढ़ाने के संबंध में आदेश तब तक जारी नहीं किए जाएंगे जबतक संबंधित कर्मधारी को प्रस्तावित देड के खिलाफ प्रतिवेदन करने के लिए न्यायोधित अवसर नहीं दिया जाता और ऐसे मामलों में, जहां विनियम 8 के खड़ (v) से (ix) में विनिर्धारित दंड लगाने का प्रस्ताव है, अथवा जिस खदेश के पुनरीक्षण की मांग की गई है, उस जादेश द्वारा लगाया गया दंड उन खंडों में विनिर्दिष्ट दंड तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, तो उन मामलों में -विनियम 12 में निर्धारित पर्ध्दित से जांध कराए बिना और संबंधित कर्मधारी को जांध के दौरान साक्ष्यों के आधार पर दिए गए दंड के खिलाफ बधाव के न्यायोधित अवसर दिए और जहां भी अपेक्षित हो, केंद्रीय सरकार के परामर्श के बिना-ऐसा कोई भी दंड नहीं लगाया जाएगा.

पुनरीक्षण का कोई अधिकार अध्यक्ष द्वारा तब ही इस्तेमाल किया जाएगा जब --

- (i) वह प्राधिकारी, जिसने पुनरावेदन में आदेश दिया है, अथवा
- (ii) वह प्राधिकारी, जिसके पास पुनरावेदन प्रस्तुत होना है, पर उसके पास कोई पुनरावेदन किया नहीं गया है--ऐसा प्राधिकारी अध्यक्ष स्वयं हो या उनका अधीनस्थ हो.
- (28) (2) पुनरीक्षण की कोई भी प्रक्रिया तबतक शुरू नहीं की जाएगी, जबतक कि--
 - (i) किसी भी पुनरावेदन की निर्धारित सीमा अवधि समाप्त नहीं होती
 - (ii) यदि कोई पुनरावेदन किया हो, तो उसका निपटान नहीं हो जाता.
 - (8) पुनरीक्षण के लिए दिए गए आवेदन पर उसी प्रकार कार्यवाही की जाएगी, जिस प्रकार इन विनिधमों के तहत पुनराबेदन पर कार्यवाही की जाती है.

भाग IX संनीर्ण

- (29) अद्देश और नोटीस पहुँचाना इन विनियमों के तहत जारी किए गए प्रत्येक आदेश, नोटीस और अन्य प्रक्रिया- संबंधी सूचना कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से दी जाएगी अथवा पंजीकृत डाक से भेज दी जाएगी.
- (30) समय अवधि में छूट और विलंब माफ करने का अधिकार इन विनियमों में जबतक अन्यथा स्फटतः न कहा गया हो, इन विनियमों के तहत आदेश देने के लिए सक्षम प्राधिकारी ठीक और पर्याप्त कारणों से, अथवा पर्याप्त कारण दर्शानेपर, इन नियमों के तहत अपेक्षित किसी काम के लिए विनियम में निर्धारित अवधि बढ़ा सकते हैं अथवा हुल विलंब माफ कर सकते हैं.
- (81) स्व्य होना -- (1) इन विनिधमों के लागू होते ही उनके लागू होने से तुस्त पहले अनन्स्यित कर्मचारी वर्ग के जो कर्मचारी कथित निधम-विनिधमों के अधीन थे, उनसे संबंधित 'अनन्स्यित कर्मचारी वर्ग के निधम और उपनिधम' के निधम 28, 24, 25 और 28 तथा उनका परिशिष्ट 'इ' ख्य माने जाएंगे, साथ ही इन विनिधमों के लागू होने से ठीक पहले जो अवेश अथवा प्रथाएं अन्य सभी कर्मचारियों के संबंध में प्रथलित थी, उन्हें ख्य माना जाएगा.

परंतु -

- (क) इस तरह रद्द माने जाने का अनन्ध्चित कर्मधारी वर्ज के लिए लागू कथित नियम और विनियमों के तहत की गयी पिछली कार्यवाही या उसके तहत दिये गये कथित अदेश या चलायी प्रधाओं पर कोई असर नहीं होगा.
- (स) इन विनिधमों के लागू होने के समय अनन्स्चित कर्मचारी वर्ग के लिए लागू कथित निधम-विनिधम अथवा अदेश या प्रधाओं के तहत कोई कार्यवाही जारी/लंबित होगी, तो जहां तक संभव होगा, वह कार्यवाही एवं उसपर निर्णय इन विनिधमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा.
- (2) इन विनियमों के प्रारंस होने से पहले दिए गए किसी भी अदेश के सिलाफ किया गया जो अपील उनके लागू होने के बाद भी लंबित या आस्थागित होगा. उस अपील पर विचार सिमर्श एनं अदेश इन विनियमों के अनुसरण में होगे.
- (32) संदेहों का निराकरण यदि इन विनियमों के किसी प्रावधान की व्याष्ट्रया के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाय, तो वह मामला अध्यक्ष को भेजा जाएगा और वे ही उसका निर्णय देंगे.

अनुस्ची । देलिए विनियम 2, 10 और 22 ।

क्रम सं.	कर्मयारियों के वर्ग	दंड देने के लिये सक्षम प्राधिकारी और लगाये जानेवाला दंड (विनियम 8 के खंड (j) से (ix) के संदर्भ में)		अपीलीय प्राधिकारी
2000		प्राधिकारी	दंड	
I.	आधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के श्रंड (क) में उल्लिसित पर्दोपर तैमात कर्मचारी	(ii) अध्यक्ष -		सरकार ड लंड में
2	हेणी 1 के पद्भार तैनात वे कर्मवारी	HEIDA	सभी	केंद्र
	जिनका अधिकतम वेतनमान (भटतों को छोडकरों ठीठि रू. मे अधिक हैं, लेकिन जो अन्त अनु क्र. 1 में सस्मितित नहीं है.	anough,	(14)	सरकार
3.	अनुक. 1 और 2 में सम्मितित पद छोडकर श्रेणी 1 के अन्य पद्मीपर तैनात कर्मचारी और श्रेणी 11 के पद्मीपर तैनात कर्मचारी	उपाध्यक्ष	सभी	अध्यक्ष
4.	शैणी 111 के पदाँघर तैनात वे कर्मवारी, जिनका अधिकतम वेतनमान (सभी भटतों को छोडकरो रू. 2230 से अधिक है.	विभाग प्रमुस	सभी	उपाध्यक्ष
5.	(i) तृतीय श्रेणी के पदधारक कर्मचारी जो अनु क. 4 में सम्मितित नहीं हैं, और	विभाग प्रमुख सभी कथवा उस विभाग प्रमुख द्वारा समय-समय पर नामित उप विभाग		i) जिस मामले में दंड विभाग प्रमुख द्वारा समय-समय पर नामित उपविभाग प्रमुख
	(ii) मतुर्थ मेणी के पद्धारक कर्मधारी	प्रमुल के स्तर का अस्य कोई अधिकारी		उपावनाश प्रमुल स्तर के अधिकारी/ अधिकारियों द्वारा लगाया गया है। उस मामले में - विभाग प्रमुल
		3		ii) जहां दंड विभाग प्रमुख दूररा लगाय गया है, उम मामले में-उपाध्यक्ष